अनुदान संख्या 12 - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग
GRANT No.12 – DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*	*9,00*	*9,00*	*8,36*	*-64*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत-	Voted –				
मूल	Original	1481,01,00	1481,05,00	1233,71,70	-247,33,30
पूरक	Supplementary	4,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				238,81,10
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted –		8,00,00	1,24,08	-6,75,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				6,75,92

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “3451”	Major Head “3451”				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	4131.00	4121.00	3927.99	-193.01
पु.	R.	-10.00			
मुख्य शीर्ष “2552”	Major Head “2552”				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	19999.00	..	..	..
पु.	R.	-19999.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	56368.00			
पू.	S.	2.00	37540.60	37168.90	-371.70
पु.	R.	-18829.40			
मुख्य शीर्ष "2875" अन्य उद्योग	Major Head "2875" Other Industries				
मू.	O.	17500.00	8700.00	8700.00	..
पु.	R.	- 8800.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	38001.00			
पू.	S.	2.00	62946.00	62942.07	-3.93
पु.	R.	24943.00			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	9510.00	8272.30	8034.48	-237.82
पु.	R.	- 1237.70			

(I) ₹20005.00 लाख का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹19999.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - सहायिकी - पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति 2007" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए ।

(I) Provision of ₹20005.00 lakhs remained wholly unutilized under four heads; of these ₹19999.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552" – "Development of Backward Areas-Subsidies-North East Industrial and Investment Promotion Policy 2007" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग" के अंतर्गत ₹203.01 लाख की बचत (₹4131.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और किफायती उपायों के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Industrial Policy and Promotion" - saving of ₹203.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4131.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - नमक" - ₹496.95 लाख की बचत (₹3010.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'संशोधित नमक मजदूर आवास योजना' स्कीम लागू किए जाने संबंधी ठोस प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(खा) "सामान्य" -

(क) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना - भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम अनुसूचित जाति उप योजना" - ₹183.16 लाख की बचत (₹3001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "अन्य व्यय" -

(i) "भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" - ₹6716.26 लाख की बचत (अगस्त, 2011 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹21000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राष्ट्रीय निगरानी इकाई/परियोजना मूल्यांकन दल का निरीक्षण पूरा न होने के कारण हुईं।

(ii) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" - ₹8693.62 लाख की बचत (₹11500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अगले निर्गमन के लिए लक्ष्य प्राप्त न होने, विशेष क्रय वाहनों से कम मांगें प्राप्त होने, संशोधित प्ररूप होने एवं अनेक अभिकरणों के शामिल होने की वजह से उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने में विलंब होने के कारण हुई ।

(iii) "राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद" - ₹360.00 लाख की बचत (₹557.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अध्ययन शुरू करने के लिए

(III) Under Major Head "2852"- savings occurred under the following heads:-

(A) "Consumer Industries - Others - Salt"- saving of ₹496.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3010.00 lakhs) was due to non receipt of concrete proposal for implementation of the scheme 'Modified Namak Mazdoor Awas Yojana'.

(B) "General" -

(a) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Indian Leather Development Programme SC Sub Plan" - saving of ₹183.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3001.00 lakhs); and

(b) "Other Expenditure" -

(i) "Indian Leather Development Programmes" - saving of ₹6716.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹21000.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in August, 2011).

Saving under the above two heads were due to non-completion of inspection of National Monitoring Unit (NMU)/Project Evaluation Team (PET).

(ii) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" – saving of ₹8693.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11500.00 lakhs) was due to non- achieving of milestones for next release, receipt of less demands from Special Purchase Vehicles, delay in submission of utilisation certificates owing to revised format and involvement of multiple agencies.

(iii) "National Manufacturing Competitiveness Council" - saving of ₹360.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹557.00 lakhs)

साझीदारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई ।

(iv) "निवेश संवर्धन स्कीम" - ₹1478.67 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा ई-बिज़ स्कीम के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुईं।

(v) "स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता-" ₹1643.08 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष "2875" - "अन्य उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता - दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम" के अंतर्गत ₹8800.00 लाख की बचत (₹17500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुईं:-

(V) मुख्य शीर्ष "3475" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन - बौद्धिक सम्पदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण" - ₹1500.75 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से नई दिल्ली और अहमदाबाद में निर्माण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई ।

(खा) "अन्य व्यय - आर्थिक सलाहकार" - ₹115.29 लाख की बचत (₹834.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवसाय सेवा मूल्य सूचकांक के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपनाई गई पद्धति संबंधी कार्यकारी समूह का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

was due to non-receipt of viable proposals from the stake holders for undertaking studies.

(iv) "Scheme for Investment Promotion" - saving of ₹1478.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs) was due to delay in approval of e-Biz Scheme by Expenditure Finance Committee.

(v) "Project Based Support to Autonomous Institutions"- saving of ₹1643.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2875" - "Other Industries - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Grants to Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation" - saving of ₹8800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17500.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous year and reduction of plan provision at revised estimates stage.

(V) Under Major Head "3475" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Modernisation and Strengthening of Intellectual Property Office"- saving of ₹1500.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts and slow progress of construction work at New Delhi and Ahmedabad owing to delay in signing of Memorandum of Understanding with National Buildings Construction Corporation and obtaining necessary approvals.

(B) "Other Expenditure - Economic Adviser" - saving of ₹115.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹834.00 lakhs) was due to non receipt of approval of working group on the methodology adopted for various sectors under Business Services Price Index.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹19244.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवम्बर, 2011 और मार्च, 2012 में ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" -

(क) "सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग - अन्य - राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद" - ₹200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹199.00 लाख था।

(ख) "सामान्य - औद्योगिक शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण - केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹100.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹83.00 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता" -

(क) "जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज" - ₹3841.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3839.07 लाख था।

(ख) "औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सहायिकी" - ₹15103.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹15102.00 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रति संतुलित हो गईं :-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन" - ₹125.97 लाख का अधिक व्यय (₹850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2012 के लिए संगठन को निर्धारित अंशदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" - "पिछड़े क्षेत्रों का विकास - आर्थिक सहायता" -

2. (I) The above savings were partly (₹19244.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in November, 2011 and March, 2012 under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" -

(a) "Cement and Non-metallic Mineral Industries - Others - National Council for Cement and Building Materials" - ₹200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹199.00 lakhs.

(b) "General - Industrial Education Research and Training - Central Manufacturing Technology Institute" - ₹100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹83.00 lakhs.

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies" -

(a) "Package for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand"- ₹3841.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3839.07 lakhs.

(b) "Transport Subsidy to Industrial Units" – ₹15103.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15102.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2852" - "General - International Co-operation-United Nations Industrial Development Organisation" - excess of ₹125.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹850.00 lakhs) was due to release of assessed contribution to the organization for the year 2012.

(B) Major Head "2885" - "Development of Backward Areas - Subsidies"-

(क) "केंद्रीय ब्याज सहायिकी स्कीम" - ₹1644.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(a) "Central Interest Subsidy Scheme" - excess of ₹1644.00 lakhs (against nil provision); and

(ख) "पूंजीगत निवेश सहायिकी" - ₹4355.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

(b) "Capital Investment Subsidy"- excess of ₹4355.00 lakhs (against nil provision).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ ।

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष "3475" - "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन - पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक" - ₹171.02 लाख का अधिक व्यय (₹3108.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेटेंटों के 100 नए भर्ती परीक्षकों के स्थापना संबंधी व्ययों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(C) Major Head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks – Controller General of Patents, Designs and Trade Marks" – excess of ₹171.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3108.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards establishment related expenses of 100 newly recruited examiners of patents.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹60.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 133 प्रतिशत था ।

(III) Under one head excess of ₹60.00 lakhs occurred constituting 133 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital outlay on Public Works				
मू.	O.	800.00	124.08	124.08	..
पु.	R.	- 675.92			

(I) "कार्यालय भवन - निर्माण - राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा प्रबंधन संस्थान" के अंतर्गत ₹675.92 लाख की बचत (₹800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिहायशी परिसर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई ।

(I) Under "Office Buildings – Construction – National Institute of Intellectual Property Management" – saving of ₹675.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹800.00 lakhs) was due to non completion of the process of land acquisition for construction of residential complex.